



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या-1921-कार्य/चौदह-पाकालि/2023-92-के/2009

दिनांक: 24 जुलाई, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1589/23-7-12-25(सा0)/09 दिनांक 15.05.2012, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों के लिए निविदा प्रक्रिया में अनुमन्य आरक्षण व्यवस्था को समाप्त किया गया है, को अंगीकृत करते हुए उसके अनुपालन में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं0-259-कार्य/चौदह-पाकालि/2011-92-के/2009 दिनांक 28.02.2011 द्वारा निविदा के माध्यम से कराये जाने वाले रूपयें 25 लाख तक के कार्यों में अनुसूचित जाति के ठेकेदारों हेतु 21 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के ठेकेदारों हेतु 2 प्रतिशत आरक्षण की अनुमन्य करायी गयी व्यवस्था को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या :1921(1)-कार्य/चौदह-पाकालि/2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
4. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणान्चल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं केस्को कानपुर।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग/आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त निदेशक पूर्वान्चल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणान्चल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा एवं केस्को कानपुर।
7. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट-www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
8. कट फाइल।

आज्ञा से,

(मुगांक शिखर दाश भट्टमिश्र)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)